ईंट के भट्टों में काम करने वाले कर्मचारियों पर श्रम सम्बन्धी कानून का लागू किया जाना

6344. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या ईंट के भट्टों में काम कर रहे लाखों कर्मचारी सारे देश में फैले हुए हैं;

(ख) क्या उन पर कोई श्रम संबंधी कानून लागू नहीं होता है;

(ग) क्या उनके वेतन तथा अन्य सुविधाओं के बारे में सरकार का विचार कोई कानून बनाने या उन पर वर्तमान कानून लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 1969 में ईंटें और टाइलें बनाने वाले कारखानों में अनुमानित औसत दैनिक नियोजन की अस्थायी संख्या 68.000 थी (भारतीय श्रम आंकड़े, 1971) ।

(ख) और (ग). विभिन्न केन्द्रीय श्रम विधियां जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, मजदूर संघ अधिनियम, 1926, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946, कारखाना अधिनियम, 1948, मजदूरी की अदायगी अधिनियम, 1936 आदि ईंट के भट्टों पर लागू होते हैं । ईंट के भट्टों में काम करने वाले श्रमिक राज्य-परिधि में आते हैं और केन्द्र की ओर से उनके लिए कोई विशेष कानून बनाने का प्रस्ताव नहीं है । जहां तक मजदूरी का सम्बन्ध है, कुछ राज्य सरकारों अर्थात् विहार, महाराष्ट्र और तमिल नाडू और दिल्ली प्रशासन ने, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम के उपबन्ध "ईंट बनाने वाले कारखानों पर लागू किये हैं तथा ऐसे श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

नन्दिनी पत्थर खदान में खान अधिनियम लागू करना

6345. **श्री धनशाह प्रधान :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नन्दिनी पत्थर खदान की गहराई 20 फुट से अधिक है और इस प्रकार वहां खान अधिनियम लागू किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो यह अधिनियम वहां कब लागू किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) इस पत्थर खान के स्थान और स्वामित्व सम्बन्धी ब्यौरों की अनुपस्थिति में इसके बारे में जांच करना संभव नहीं है ।

Weighing of Aluminium Received by Hindustan Aluminium Corporation of India

6346. SHRI DHAN SHAH PRADHAN: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the aluminium received by the Hindustan Aluminium Corporation of India from Amarkantak and Bailadilla is weighed;

(b) if so, where it is weighed; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons for not weighing it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAHNAWAZ KHAN): (a) and (b). The Hindustan Aluminium Corporation are receiving bauxite and not aluminium from their mines in Amarkantak for the production of aluminium metal in their Smelter at Renukoot. The Corporation has reported that bauxite is weighed at their mining sites.

(c) Does not arise.